दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

(23 जुलाई, 1996 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

ELEVENTH REPORT

(PRESENTED ON 23 July, 1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

11वां प्रतिवेदन

______________ को प्रस्तुत

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता (मालवीय नगर)	सदस्य
3.	श्री राम भज	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सदस्य
5.	कु0 पूर्णिमा सेठी	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य
7.	श्री शोएब इकबाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी0एन0 गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस0के0 शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री एस0के0 श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनाँक 9 जुलाई, 1996 और दुबारा 18 जुलाई, 1996 को माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

9 जुलाई, 1996 को सम्पन्न बैठक में समिति को सूचित किया गया कि पिछले सत्र से लम्बित कार्य में दो प्रतिवेदनों - (1) प्राक्कलन समिति, (2) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को स्वीकार करना तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा संबंधी विधेयक पर विचार करना बाकी है ।

वित्त मंत्री 23 जुलाई, 1996 को बजट प्रस्तुत करेंगे जिसे सदन द्वारा 30 जुलाई, 1996 को पारित किया जाएगा, के बारे में समिति को पुनः सूचित किये जाने पर समिति ने बजट पर विचार करने और उसे पारित करने हेतु निम्नलिखित तिथियों को आबंटित करने का निर्णय लिया:

23 जुलाई, 1996	बजट का प्रस्तुतीकरण
24 जुलाई, 1996	बजट पर चर्चा
25 जुलाई, 1996	बजट पर चर्चा
30 जुलाई, 1996	बजट का पारण

समिति ने अस्थायी तौर पर 31 जुलाई, 1996 और 1 अगस्त, 1996 को निम्नलिखित अल्पकालिक विषयों को चर्चा के लिए लेने का निर्णय लिया ।

1. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ।
2. राजधानी में बिजली और पानी की समस्या ।

कार्य मंत्रणा समिति की 18 जुलाई, 1996 को सम्पन्न दूसरी बैठक में समिति को सूचित किया गया कि सत्र के पहले दिन अर्थात् 22 जुलाई, 1996 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० नीलम संजीव रेड्डी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी तत्पश्चात् सदन स्थगित किया जा सकेगा ।

कु० पूर्णिमा सेठी और श्री राम भज ने सुझाव दिया कि स्वर्गीय श्री बाला साहब देवरस, रा०स्व०से०सं० के सरसंघ चालक और श्री यज्ञ दत्त शर्मा (उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल) तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, यदि कोई हो, के निधन पर भी शोक संवेदना व्यक्त की जा सकती है । तथापि सदन पूर्व राज्य प्रमुख के निधन के आधार पर ही स्थगित किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि उचित होगा यदि माननीय सदस्यगण इस संबंध में लिखित रूप में ही अपने सुझावों से सचिवालय को अवगत करा दें ।

समिति को सूचित किया गया कि 30 जुलाई,1996 की तिथि को अस्थाई तौर पर बजट प्रस्तुतीकरण हेतु नियत किया गया है क्योंकि बजट को, लेखा अनुदान को इसी महीने की 31 जुलाई,1996 को समाप्त हो जाना है, हर हालत में पास कराना आवश्यक हो गया है ।
श्री महेन्द्र सिंह साथ ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि उनका दल 23 जुलाई,1996 को किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है । इसलिए सदन अपना काम सुगमतापूर्वक निष्पादित करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री साथी ने माननीय अध्यक्ष महोदय से ऐसे प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर उसे अपनी अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्ताव पर नियमानुसार उचित तरीके से विचार किया जाएगा । किन्तु उसे नियम 61 के अनुसार सदन के उस दिन के सामान्य कार्यों के लिए नियत समय के समाप्त होने के एक घण्टे पूर्व ही लिया जा सकेगा । इस प्रकार यदि उसे स्वीकार किया जाता है और सदन की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो प्रस्ताव को वित्त मंत्री के अपना बजट भाषण समाप्त करने के पश्चात् लगभग 5-बजे अपराह्न लिया जा सकेगा ।

तथापि श्री साथी ने आग्रह किया कि कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसे कार्य स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय उपाय के माध्यम से उठाये जाने वाले अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उचित प्रदान नहीं की जाती । अन्य सदस्यों द्वारा भी अपने विचार प्रकट करने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि बजट प्रस्तुतीकरण के पूर्व चूंकि कोई अन्य समय उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए ऐसे प्रस्ताव को केवल वित्त मंत्री के भाषण के उपरान्त ही लिया जा सकता है ।

समिति ने 24 व 25 जुलाई,1996 को बजट पर चर्चा कराने और 26 जुलाई,1996 को गैर सरकारी सदस्य दिवस तथा 27,28 और 29 जुलाई,1996 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसे 30 जुलाई,1996 को पारित कराने का निर्णय लिया ।

जहाँ तक अल्पकालिक चर्चा का सम्बन्ध है, समिति को सूचित किया गया कि बिजली और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर पहले ही सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी थी कि बिजली पर भी चर्चा हो सकती है किन्तु चूंकि उक्त तिथि तक इस विषय पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए इसे अब नहीं लिया जा सकता है। इस बात पर श्री साथी ने कहा कि बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री शीशपाल द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे श्री शीशपाल द्वारा दी गयी सूचना में रह गयी कमियों को हस्ताक्षर करके ठीक करने के लिए तैयार हैं। ताकि ये नियम 52 की अपेक्षाओं को पूरा कर सके जिसके अनुसार किसी भी सूचना को दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों द्वारा समर्थित होना चाहिए जब कि श्री शीशपाल की सूचना पर केवल एक ही सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। कुछ चर्चा के पश्चात् जिसमें विरोधी दृष्टिकोण भी व्यक्त किया गया था, श्री राजेन्द्र गुप्ता, श्री राम भज एवं श्री देवेन्द्र सिंह भी इस बात पर सहमत हुए कि उक्त सूचना की गलतियों को ठीक करके चर्चा के लिए स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए तथापि कु0 पूर्णिमा सेठी ने यह कहते हुए कि यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसा कार्य अल्पकालिक चर्चा से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने वाला होगा, अपनी असहमति को दर्ज कराने पर बल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री साथी को सूचना पर हस्ताक्षर के लिए भी अनुमति प्रदान की ताकि उसकी विसंगतियों को दूर किया जा सके और सूचना नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो सके और इस तरह महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करायी जा सके।

समिति ने निर्णय लिया कि जिन दो विषयों पर चर्चा होनी है उन्हें कार्य-सूची में निम्नलिखित रूप में दर्ज किया जाए:

क) (दिल्ली में बिजली की व्यवस्था पर चर्चा)

ख) (दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चर्चा)

समिति ने निम्नलिखित के अनुसार अभी तक प्राप्त विधेयकों पर विचार और पारण के लिए समय का आबंटन करने का निर्णय लिया ।

1.	दिल्ली धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य रक्षा विधेयक, 1995	30 मिनट
2.	दिल्ली स्थानीय (सदस्यता के लिए अयोग्यता) (छोटा परिवार) विधेयक, 1996	30 मिनट
3.	दिल्ली चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1996	30 मिनट

इस प्रकार निम्नलिखित विवरण के अनुसार अस्थायी तौर पर कार्यों को लेने का निर्णय लिया गया:

तिथि	कार्य	
22.7.1996	डॉ० नीलम संजीव रेड्डी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक प्रस्ताव । श्री बाला साहब देवरस (रा०स्व०से०सं० के पूर्व प्रमुख) और श्री यज्ञदत्त शर्मा (उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल) के निधन पर भी शोक प्रस्ताव ।	पूर्व राष्ट्र प्रमुख्य डॉ० नीलम संजीव रेड्डी की स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से सदन स्थगित किया जा सकता है ।
23.7.1996	1). बजट का प्रस्तुतीकरण	(4.00 बजे अपराह्न)
	2) कार्य स्थगन प्रस्ताव यदि पेश किया और स्वीकार किया गया ।	(5.00 बजे अपराह्न)

Contd..../..

24.7.1996	बजट पर चर्चा ।
25.7.1996	बजट पर चर्चा ।
26.7.1996	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (संकल्प) ।
30.7.1996	बजट का पारण ।
31.7.1996	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अल्पकालिक चर्चा ।
01.8.1996	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अल्पकालिक चर्चा ।
02.8.1996	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य दिवस (विधेयक)

विधायी कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कि यदि सभी विधेयकों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना सत्र के दौरान तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर संभव नहीं हो पाता तो क्रम सं0 3 पर दर्शाये गये विधेयक को आगामी सत्र तक के लिए लम्बित रखा जा सकता है ।

समिति ने श्री राम भज और उनकी अनुपस्थिति में श्री महेन्द्र सिंह साथी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

(चरती लाल गोयल)
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति

In the second meeting of the BAC held on 18th July, 1996, the Committee was informed that on the first day of the session on 22nd July, 1996, obituary references would be made to the passing away of Late Shri Neelam Sanjiva Reddy, former President of India, thereafter the House may be adjourned.

Km. Purnima Sethi and Shri Ram Bhaj suggested that references may also be made to the passing away of Late Shri Bala Sahib Deoras (RSS Chief) and Shri Yag Dutt Sharma (former Governor of Orissa), and other dignitaries, if any, though the adjournment of the House may be on account only of the death of former Head of State, the Chair advised that it would be better if the members send their proposal in this regard in writing also.

The Committee was informed that 23rd July has been tentatively earmarked for presentation of budget since the same has to be passed this month itself as vote on Account would expire on 31st July, 1996. Shri Mohinder Singh Saathi observed that his party may move an Adjourn-ment Motion on 23rd July, on a matter of urgent public importance. In order, therefore, that the House transacts its business smoothly, he requested the Hon'ble Speaker to kindly give his consent to the motion when he receives the notice. The Chair observed that the motion would get due consideration as per rules but as per Rule 61, it can be taken up only an hour before the time fixed for the usual termination of the Business of the day. Thus, the motion, if it is admitted and gets the approval of the House, could be taken up at about 5.00 P.M. after the Finance Minister has made his budget speech.

Shri Saathi, however, insisted that the purpose of the adjournment motion would not be served if due priority is not accorded to the urgent matter raised through adjournment device. After other members had also expressed their views, it was felt that as there was no other time available prior to presentation of budget, the same could be taken up only after the Finance Minister's budget speech.

It was decided that discussion on budget would take place on 24th and 25th July and it would be passed on 30th July - 26th July being Private Members' Day and 27th, 28th and 29th July being holidays.

Contd...3/...

As regards the subjects of Short Duration Discussion, the Committee was informed that notices have already been received about the discussion on electricity and public transport system. Although in the previous BAC meeting it was agreed that discussion on electricity may also take place, but since no notice on the subject has been received till date, the same cannot, therefore, be taken up. At this, Shri Saathi said that the notice given by Shri Shishpal regarding supply of electricity in Delhi should be admitted. He also said that he is prepared to rectify the shortcoming in the notice by signing the same so that it meets the requirements of rule 52 which provides that such a notice should be supported by the signatures of two other members whereas Shri Shishpal's notice has been supported by one member only. After some discussions in which contrary views were also expressed, Shri Rajendra Gupta, Shri Ram Bhaj and Shri Devender Singh, also agreed that let the notice be rectified and it be admitted for discussion. Km. Purnima Sethi, however, persisted with her dissent stating that such a course of action would be violative of rules relating to motion for short duration discussion. Hon'ble Speaker permitted Shri Saathi to sign the notice so that the anomaly is rectified and notice becomes admissible under the rules, enabling the discussion on the important issue.

The Committee decided that the two subjects on which discussion is to take place, be listed in the List of Business in the following language :-

(a)

(Discussion on Electricity in Delhi)

(b)

(Discussion on Public Transport System in Delhi)

The Committee decided to allot time for the consideration and passage of the Bills, thus far received, as follows : -

(i)	The Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers' Health Protection Bill 1995 as reported by the Select Committee.	30 Minutes
(ii)	The Local Government in Delhi (Dsqualification of Membership) (Small Family) Bill, 1996.	30 Minutes
(iii)	Delhi Medical Council Bill, 1996.	30 Minutes

Thus it was decided that the business would tentatively be taken up as shown in the statement below:-

Date	Business	Remarks
22.7.96	Obituary references on the passing away of Dr. Neelam Sanjiva Reddy, former President of India. References also to be made to the passing away of Shri Bala Sahiv Devras (former Chief of RSS) and Shri Yag Dutt Sharma (former Governor of Orissa).	The House may be adjourned as a mark of respect memory of former Head of State, Dr. Neelam Sanjiva Reddy.
23.7.96	(i) Presentation of Budget (at 4.00 P.M.) (ii) Adjournment Motion (in case moved and admitted) at 5.00 P.M.	
24.7.96	Discussion on Budget.	
25.7.96	Discussion on Budget.	
26.7.96	Private Members' Business (Resolutions)	
30.7.96	Passing of Budget.	
31.7.96	Short Duration Discussion on a matter of urgent public importance.	
1.8.96	Short Duration Discussion on a matter of urgent public importance.	
2.8.96	Private Members' Day (Bills).	

The Minister of Legislative Affairs suggested that in case it was not possible to consider and pass all the bills during the session and within the given time frame, the Bill at serial number (iii) may be kept pending for the next session.

The Committee authorised Shri Ram Bhaj and in his absence Shri Mohinder Singh Saathi to present the Report.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(11TH REPORT)

PRESENTED ON 23 July, 1996

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon. Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta (Malviya Nagar)	Member
3.	Shri Ram Bhaj	Member
4.	Shri Devendra Singh	Member
5.	Km. Purnima Sethi	Member
6.	Shri Mohinder Singh Saathi	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Jt. Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The Business Advisory Committee met in the Chamber of Hon'ble Speaker on 9th July and again on 18th July, 1996.

In the meeting held on 9th July, 1996, the Committee was informed that among the business pending from the previous session was adoption of two reports- one each of Public Accounts Committee and Committee on Estimates - and consideration of the Prohibition of Smoking and Non-smokers' Health Protection Bill, 1995, as reported by the Select Committee :

The Committee, on being further informed that the Finance Minister would present the Budget on 23rd July, 1996 which would be passed by the House on 30th July, 1996, decided to allocate following dated for discussion and passing of the Budget :

23rd July, 1996 ;	Presentation of Budget.
24th July, 1996 ;	Discussion on Budget.
25th July, 1996 ;	Discussion on Budget.
30th July, 1996 ;	Passing of Budget.

The Committee also decided to take up the following subjects for Shrot Duration Discussion tentatively on 31st July, 1996 and 1st August, 1996:

1. Public Transport System.
2. Electricity and water problem in the capital.

Contd..2/..